अतिआवश्यक/महत्वपूर्ण/फैक्स

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग लखनऊ।

परिपत्र संख्या-34 /2015 दिनांकःलखनऊःमई 13 ,2015

सेवा मे,

समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद,
उत्तर प्रदेश ।

मा0 उच्च न्यायालय में एक प्रकरण में सुनवाई के दौरान यह तथ्य प्रकाश में आया है कि मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेशों/न्यायिक आदेशों के बावजूद सम्बन्धित एस0एच0ओ0 द्वारा स्वयं उपस्थित न होकर अन्य किसी उपनिरीक्षक को मा0 न्यायालय में डेटन्यू को पेश करने हेतु भेज दिया गया है । इस तथ्य पर मा0 उच्च न्यायालय द्वारा घोर आपत्ति प्रकट करते हुए अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है ।

2- इस प्रकार का कृत्य न्यायिक आदेशों के उल्लंघन एवं अवमानना की श्रेणी में आता है और इस प्रकार का कृत्य करने वाले अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध निश्चित रूप से दण्डात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए । न्यायिक मामलों में इस प्रकार की लापरवाही एवं स्वेच्छाचारिता कदापि क्षम्य नहीं है और इससे मा0 न्यायालय के समक्ष विभाग की छवि भी घूमिल होती है।

3- अतः आपको बहुत ही स्पष्ट शब्दों में निर्देशित किया जाता है कि मा0 उच्च न्यायालय द्वारा जब भी किसी अधिकारी/कर्मचारी को मा0 उच्च न्यायालय में उपस्थित होने हेतु आदेशित किया जाता है तो वही अधिकारी/कर्मचारी मा0 न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा। यदि ऐसा कोई दृष्टान्त प्रकाश में आता है कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के स्थान पर कोई अन्य अधिकारी/कर्मचारी मा0 न्यायालय में उपस्थित हुआ तो उसके विरूद्ध तत्काल दण्डात्मक कार्यवाही अमल में लायी जाये तथा उसे तुरन्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष के पद से हटा दिया जाये ।

4- उपरोक्त निर्देशों के बावजूद यदि अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में इस प्रकार का तथ्य प्रकाश में आया कि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के स्थान पर अन्य कोई अधिकारी/कर्मचारी मा0 न्यायालय में उपस्थित हुआ तो मुझे उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए आपके विरूद्ध भी वैधानिक कार्यवाही कराये जाने हेतु विवश होना पड़ेगा ।

13-5

(अरविन्द कुमार जैन)
पुलिस महानिदेशक,
उत्तर प्रदेश।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने का कष्ट करें:-

1- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
3- शासकीय अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ, खण्ड पीठ ।